न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला दूदू

मुकदमा नम्बर:– 69 / 2024
निर्णय दिनांक:–19.09.2024

पीठासीन अधिकारी:– राकेश कुमार ॥ (आर0ए0एस0)

मोहन सिंह पुत्र सुगन सिंह जाति राजपूत निवासी खंडूज तहसील फागी जिला जयपुर हाल परिवर्तित जिला दूदू राज0।

वादी

बनाम

1. गणेश सैनी पुत्र ओमप्रकाश नाबालिग जरिये प्राकृतिक सरंक्षक माता श्रीमति ललिता देवी पत्नि ओमप्रकाश जाति माली निवासी निमेडा तहसील फागी जिला जयपुर हाल परिवर्तित जिला दूदू।
2. गोलू सैनी पुत्र ओमप्रकाश नाबालिग जरिये प्राकृतिक सरंक्षक माता श्रीमति ललिता देवी पत्नि ओमप्रकाश जाति माली निवासी निमेडा तहसील फागी जिला जयपुर हाल परिवर्तित जिला दूदू।
3. छगनलाल पुत्र बिरदीचन्द जाति माली निवासी निमेडा तहसील फागी जिला दूदू।
4. बनवारी पुत्र जगदीश जाति माली निवासी निमेडा तहसील फागी जिला दूदू।
5. रंगबिहारी पुत्र जगदीश जाति माली निवासी निमेडा तहसील फागी जिला दूदू।
6. रामलाल पुत्र बिरदीचन्द जाति माली निवासी निमेडा तहसील फागी जिला दूदू।
7. ललिता देवी पत्नी ओमप्रकाश जाति माली निवासी निमेडा तहसील फागी जिला दूदू।
8. लालचन्द पुत्र जगदीश जाति माली निवासी निमेडा तहसील फागी जिला दूदू।
9. सीमा सैनी पुत्री ओमप्रकाश जाति माली निवासी निमेडा तहसील फागी जिला दूदू।
10. सुवा पुत्र छोटू जाति माली निवासी निमेडा तहसील फागी जिला दूदू।
11. शाखा प्रबन्धक बैक ऑफ इण्डिया शाखा फागी जिला दूदू।
12. शाखा प्रबन्धक एच0डी0एफ0सी0 बैक लि0 शाखा मालपुरा जिला टोंक।
13. उपपंजीयक महोदय उपपंजीयक कार्यालय फागी जिला दूदू।
14. तहसीलदार फागी तहसील फागी जिला दूदू।
15. शाखा प्रबंधक स्टेट बैक ऑफ इण्डिया शाखा फागी जिला दूदू।

प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता:– श्री बलविन्द्र सिंह चौधरी वकील वादी
श्री गोपाल लाल चौधरी वकील प्रति0 सं0 12
वाद तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक:–19.09.2024

वाद पत्र के तथ्य संक्षेप्त इस प्रकार है कि जमाबंदी सम्वत 2075 से 2078 के आराजी खाता संख्या 305 के आराजी खसरा नम्बर 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1417, 1419, 1420 कुल किता 15 कुल रकबा 5.2857 हैक्टेयर व आराजी खाता संख्या 538 के खसरा नम्बर 1416, 1418 कुल किता 02 कुल रकबा 0.3667 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम नीमेडा तहसील फागी जिला दूदू राज0 में स्थित है जिस पर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 10 अपने अपने हिस्से

लगातार.................2

उपखण्ड अधिकारी
फागी

अनुसार काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है एवं खातेदार काश्तकार है पक्षकारान अपने अपने हिस्से अनुसार लगान सरकारी अदा करते आ रहे है। विवादित आराजीयात का विधिवत तकासमा नहीं हो रखा है मौके पर उक्त विवादित आराजीयात के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 10 अपने अपने हिस्से अनुसार बाहमी बंटवारा कर मौके पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है एवं वादी ने अपने हिस्से की आराजी में खाद बीज डालकर, मेर लगाकर काफी उन्नत एवं उपजाउ बनाकर विवादित आराजी से प्राप्त उपज से अपना व अपने परिवार का जीवनयापन कर रहा है। वादी ने उक्त आराजीयात में अपने हिस्से की आराजी को काफी वर्षो से बाहजोत करता चला आ रहा है लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 10 आये दिन वादी की मेर कोर को लेकर विवाद रखते हैं तथा जबरन वादी के हिस्से की आराजीयात पर कब्जा कर बैचान कर वादी को उसके हिस्से से बेदखल करने पर आमादा है जिसका प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 10 को कोई विधिक अधिकार प्राप्त नही है चूंकि वादी उक्त विवादित आराजीयात का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है, उक्त आराजी का वादी बाई मीट्स एण्ड बोण्ड्स के सिद्वान्त अनुसार या मौके पर कब्जे अनुसार विधिवत तकासमा करवाने का अधिकारी है तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 10 के कृत्य की ऐवज में जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने का अधिकारी है। दिनांक 25.08.2024 को वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 10 को उक्त विवादित आराजीयात का विधिवत तकासमा करवाने के लिए कहा तो प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 10 विधिवत तकासमा करवाने से साफ इंकार हो गया एवं वादी को धमकी दी कि विवादित आराजीयात में वादी के कब्जे काश्त की आराजी पर कब्जा करेंगे तथा दीगर व्यक्तियों को बैचान करेंगे, ऐसी स्थिति में वादी को आवश्यक हुआ कि वह माननीय न्यायालय के समक्ष विधिक रूप से बाई मीट्स एण्ड बोण्डस के सिद्वान्त अनुसार विभाजन कराये जिससे कि पक्षकारों के मध्य अनावश्यक विवाद न हो। वादी का वाद कारण दिनांक 25.08.2024 को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 10 द्वारा उक्त विवादित आराजीयात का विधिवत रूप से तकासमा करवाने से साफ इंकार हो जाने एवं वादी के कब्जे काश्त की आराजी पर कब्जा कर दीगर व्यक्तियों को बैचान करने की धमकी देने के कारण वाद कारण उत्पन्न हुआ हैं, जिससे वादी का वाद अन्दर मियादं प्रस्तुत हैं। विवादित आराजीयात माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित होने से प्रस्तुत वाद की सुनवाई का श्रीमान् न्यायालय को श्रवणाधिकार प्राप्त हैं।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलवी जरिये रजि0 एडी0 जारी की गई। प्रतिवादी सं0 1 लगायत 10 वाद तामिल भी हाजिर अदालत नही आये। प्रतिवादी सं0 1 लगायत 10 व 13, 14, 15 के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई।

लगातार....................3

उपखण्ड अधिकारी
फागी

प्रतिवादी सं0 12 की और से वकील श्री गोपाल लाल चौधरी उपस्थित आये तथा जबाब नही देकर सीधी बहस करने का निवेदन किया।

बहस विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष सुनी गई। वकील वादी ने अपने वाद पत्र के तथ्यो को दौहराते हुये वादी का वाद बाई मिट्स एण्ड बोण्डस के आधार पर प्राथमिक डिकी किये जाने का निवेदन किया।

वकील प्रतिवादी 12 ने अपनी बहस मे वादी का वाद बाई मिट्स एण्ड बोण्डस के आधार पर प्राथमिक डिकी किये जाने पर कोई आपत्ति प्रकट नही की।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर वादी द्वारा प्रस्तुत हस्तगत प्रकरण तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा का है। मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2075 – 2078 वाके ग्राम नीमेडा के खाता सं0 305, 538 मे वादी व प्रतिवादी सं0 01 लगायत 10 रिकार्डेड खातेदार है। प्रतिवादीगण के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई जा चूकी है। प्रस्तुत वाद तकासमा होने के कारण वादी का स्वीकार किया जाकर बाई मिट्स एण्ड बोण्डस (अच्छी मे से अच्छी व बुरी मे से बुरी) के आधार पर प्राथमिक डिकी किया जाना उचित समझता है।

अतः वादी का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण प्राथमिक डिकी किया जाकर विवादग्रस्त आराजी खाता संख्या 305 के आराजी खसरा नम्बर 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1417, 1419, 1420 कुल किता 15 कुल रकबा 5.2857 हैक्टेयर व आराजी खाता संख्या 538 के खसरा नम्बर 1416, 1418 कुल किता 02 कुल रकबा 0.3667 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम नीमेडा तहसील फागी जिला दूदू राज0 में स्थित आराजीयात का बाई मिट्स एण्ड बोण्ड्स (अच्छी मे से अच्छी व बुरी मे से बुरी) के आधार पर तकासमा किया जाकर नक्शा – कुरेजात का दो –दो प्रतियो मे भिजवाये जाने के आदेश तहसीलदार फागी को दिये जाते है। विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय रास्ते का भी प्रावधान रखा जावे। विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 तथा माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 10546 दिनांक 05.10.2020 के अनुसार निर्धारित प्रारूप मे नक्शा – कुरेजात तैयार कर न्यायालय मे प्रस्तुत करे। मुताबिक निर्णय पर्चा डिकी जारी हो। तहसीलदार फागी को नक्शा – कुरेजात भिजवाये जाने हेतु पृथक से तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 19.09.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

19/9/24

(राकेश कुमार II)
उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला दूदू

प्राथमिक डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6—7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत — उपखण्ड अधिकारी फागी (दूदू)

बइजलास— राकेश कुमार ।। (आर.ए.एस.)

उनवान

मोहन सिंह पुत्र सुगन सिंह जाति राजपूत निवासी खंडूज तहसील फागी जिला जयपुर हाल परिवर्तित जिला दूदू राज0।

बनाम

1. गणेश सैनी पुत्र ओमप्रकाश नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता श्रीमति ललिता देवी पत्नि ओमप्रकाश जाति माली निवासी निमेडा तहसील फागी जिला जयपुर हाल परिवर्तित जिला दूदू।
2. गोलू सैनी पुत्र ओमप्रकाश नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता श्रीमति ललिता देवी पत्नि ओमप्रकाश जाति माली निवासी निमेडा तहसील फागी जिला जयपुर हाल परिवर्तित जिला दूदू।
3. छगनलाल पुत्र बिरदीचन्द जाति माली निवासी निमेडा तहसील फागी जिला दूदू।
4. बनवारी पुत्र जगदीश जाति माली निवासी निमेडा तहसील फागी जिला दूदू।
5. रंगबिहारी पुत्र जगदीश जाति माली निवासी निमेडा तहसील फागी जिला दूदू।
6. रामलाल पुत्र बिरदीचन्द जाति माली निवासी निमेडा तहसील फागी जिला दूदू।
7. ललिता देवी पत्नी ओमप्रकाश जाति माली निवासी निमेडा तहसील फागी जिला दूदू।
8. लालचन्द पुत्र जगदीश जाति माली निवासी निमेडा तहसील फागी जिला दूदू।
9. सीमा सैनी पुत्री ओमप्रकाश जाति माली निवासी निमेडा तहसील फागी जिला दूदू।
10. सुवा पुत्र छोटू जाति माली निवासी निमेडा तहसील फागी जिला दूदू।
11. शाखा प्रबन्धक बैक ऑफ इण्डिया शाखा फागी जिला दूदू।
12. शाखा प्रबन्धक एच0डी0एफ0सी0 बैक लि0 शाखा मालपुरा जिला टोंक।
13. उपपंजीयक महोदय उपपंजीयक कार्यालय फागी जिला दूदू।
14. तहसीलदार फागी तहसील फागी जिला दूदू।
15. शाखा प्रबंधक स्टेट बैक ऑफ इण्डिया शाखा फागी जिला दूदू।

::— वाद तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा ::—

मु0न0:— 69 / 2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू वकील वादी श्री बलविन्द्र सिंह चौधरी हाजिर रूबरू वकील प्रतिवादीगण श्री गोपाल लाल चौधरी गिनजानिब मुदायलह पेश होकर पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि **वादी का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण प्राथमिक डिकी किया जाकर विवादग्रस्त आराजी खाता संख्या 305 के आराजी खसरा नम्बर 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1417, 1419, 1420 कुल किता 15 कुल रकबा 5.2857 हैक्टेयर व आराजी खाता संख्या 538 के खसरा नम्बर 1416, 1418 कुल किता 02 कुल रकबा 0.3667 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम नीमेडा तहसील फागी जिला दूदू राज0 में स्थित आराजीयात का बाई मिट्स एण्ड बोण्ड्स (अच्छी मे से अच्छी व बुरी मे से बुरी) के आधार पर तकासमा किया जाकर नक्शा — कुरेजात का दो —दो प्रतियो मे भिजवाये जाने के आदेश तहसीलदार फागी को दिये जाते है। विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय रास्ते का भी प्रावधान रखा जावे। विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 तथा माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा जारी परिपत्र कमांक 10546 दिनांक 05.10.2020 के अनुसार निर्धारित प्रारूप मे नक्शा — कुरेजात तैयार कर न्यायालय मे प्रस्तुत करे।**

निज............मुवलिग.............बावत.............................खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह ....फीसदी..............सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....का अदा करे।

बरवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 19 / 09 / 2024 को जारी की गई।

दस्तखत उपखण्ड अधिकारी फागी

मुहर

ओहदा..................

मुदई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबुत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक			मीजान		
मीजान					

उपखण्ड अधिकारी
फागी

क्र.स	नाम खातेदार मय वल्दियत	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लग
I	मोहनसिंह पुत्र सुगनसिंह हि0 पूर्ण जाति राजपूत सा0 खडूंज तहसील फागी खातेदार	1420	0.6702	चाही 1	
		1419	03288	चाही 1	
		1415	0.0253	गै.मु. चाह	
		1414	0.1517	गै.मु. टीबा	
		1413	0.1644	चाही 1	
		1412	0.1138	बंजड–डोल	
		1411	0.2150	चाही 1	
		1410	0.1265	बंजड डोल	
		1409	0.2529	चाही 1	
		1408	0.1012	बंजड–डोल	
		1407	0.4552	चाही 2	
		1405/1	0.0378	बंजड डोल	
		1418/1	0.1138	बंजड डोल	
		1416/1	0.0695	बंजड डोल	
	योग	किता 14	2.8261		
II	सूवा पुत्र छोटू हिस्सा पूर्ण जाति माली सा. देह खातेदार	1418/2	0.1138	बंजड–डोल	
		1416/2	0.0696	बंजड–डोल	
	योग	किता 2	0.1834		
III	1. ना. बा. गणेश सैनी पुत्र ओमप्रकाश संरक्षक ललिता देवी हिस्सा 1/32 जाति माली सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा 1/32 2. ना.बा. गोलू सैनी पुत्र ओमप्रकाश संरक्षक ललिता देवी हि0 1/32 जाति माली सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा 1/32 3. ललिता देवी पत्नि ओमप्रकाश हिस्सा 1/32 जाति माली सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा 1/32 4. सीमा सैनी पुत्र ओमप्रकाश हिस्सा 1/32 जाति माली सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा 1/32 5. छगनलाल पुत्र बिरधीचन्द हिस्सा 1/4 जाति माली सा. देह खातेदार राहिन हि0 1/4 (पूर्णखाता) बैंक ऑफ इंडिया शाखा फागी 6. बनवारी पुत्र जगदीश हिस्सा 1/8 जाति माली सा. देह खातेदार राहिन हि0 1/8 (पूर्णखाता) एस0बी0आई0 शाखा फागी 7. रंगबिहारी पुत्र जगदीश हि0 1/8 जाति माली सा. देह खातेदार राहिन हि0 1/8 **HDFC** बैंक लिमिटेड शाखा मालपुरा 8. लालचन्द पुत्र जगदीश हि0 1/8 जाति माली सा. देह खातेदार राहिन हि0 1/8 **HDFC** बैंक लिमिटेड शाखा मालपुरा 9. रामलाल पुत्र बिरधीचन्द हि0 1/4 जाति माली सा. देह खातेदार राहिन हि0 1/4 एस0बी0आई0 शाखा फागी	1404	0.5817	चाही –1	
		1405/2	0.2530	बंजड–डोल	
		1406	1.0242	चाही–2	
		1417	0.7840	चाही–1	
		किता–4	2.6429		

उपखण्ड अधिकारी, फागी
जिला–जयपुर

निर्णय आज दिनांक 31.01.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

31/1/25

(राकेश कुमार II)
उपखण्ड अधिकारी
फागी, जयपुर
फागी जिला जयपुर